



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19842

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1161/2026

रमेश कुमार और 22 अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं; अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में सफाई कर्मियों के पद के लिए आवेदन किया था और उनका दावा है कि उनका चयन हो गया था; तथापि, दिनांक 01.07.2025 को, जिलाधिकारी, भदोही ने जिला भदोही में सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में प्रमुख सचिव, पंचायती राज को एक पत्र जारी किया था। निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी दिनांक 25.08.2025 को क्षेत्रीय उप निदेशक, पंचायती राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में एक बैठक के संदर्भ में पत्र भेजा था। रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 05.08.2025 को सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 को एक पत्र भेजा था और निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ ने दिनांक 18.09.2025 को विभिन्न जिलों के जिला पंचायती राज अधिकारियों को एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 18.09.2025 का पत्र ही अपने आप में गैर-कानूनी है, खासकर तब, जब भदोही में कई पद खाली पड़े हैं, जिन पर रिट याचिकाकर्ताओं को जॉइनिंग दी जा सकती है; लेकिन अब उन पदों को दूसरे जिलों में समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। रिट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि वे अपनी प्रार्थना को इस बात तक सीमित रखते हैं कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2025 को जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए आवेदन का निपटारा किया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए भदोही के जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का रास्ता हमेशा खुला है।
5. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को यह आज्ञा दी जाती है कि वह “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिट याचिका की खुद से अटेस्ट की हुई कॉपी के साथ एक विस्तृत आवेदन तीसरे प्रतिवादी के सामने पेश करे। तीसरा प्रतिवादी, आवेदन मिलने के दो हफ्तों के अंदर, इस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी पेश किए जाने की तारीख से दो महीनों के अंदर, कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर फैसला करेगा। अगर तीसरे प्रतिवादी को लगता है कि इस मामले पर किसी दूसरे अधिकारी को फैसला करना चाहिए, तो कागजात उस अधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

6. यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस रिट याचिका पर प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही फैसला किया गया है। इसलिए, इस आदेश को इस तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”